दिनांक 19 अगस्त, 1981

क्रमांक 877-ज(I)-81/29507.—श्री बाला राम, पुत्र श्री लोधा राम, गांव देवास, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 31 सितम्बर, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बाला राम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1126-ज-I-74/31297, दिनांक 19 सितम्बर, 1974 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति सूरजी के नाम खरीफ़, 1979 में 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 20 अगस्त, 1981

क्रमांक 1478-ज(II)-81/29654.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री हरद्वारी लाल, पुत्र श्री जेठू राम, गांव मिर्जापुर, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र को खरीफ़, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 21 अगस्त, 1981

क्रमांक 780-ज(II)-81/29854.—श्री प्रताप सिंह, पुत्र श्री उजाला राम, गांव रिवाड़ी, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, की दिनांक 23 सितम्बर, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रताप सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1451-ज-(II)-74/39671, दिनांक 28 नवम्बर, 1974 द्वारा मंजूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती अनारो देवी के नाम रबी, 1979 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1483-ज(II)-81/29858.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री मांगे राम, पुत्र श्री नानक चन्द, गांव मनीमपुर, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 443-ज(I)-81/29862.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सन्तोख सिंह, पुत्र श्री किशन सिंह, गांव नारनौल, तहसील व जिला नारनौल, को रबी, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा तथा 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

शुद्धि-पत्र

दिनांक 18 अगस्त, 1981

क्रमांक 763-ज-(I)-81/29283.—हरियाणा सरकार राजस्व विभाग युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 2092-ज-I-79/4423, दिनांक 5 फरवरी, 1960 के क्रमांक 1 पर दर्ज श्री प्रभुराम, पुत्र श्री धनाराम की बजाये श्री प्रभु राम, पुत्र श्री घनश्याम पढ़ा जाए।